राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बद्री बनाम रामावतार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 644/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम निमोडिया तहसील चाकसू के आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 1.73 हैक्टेयर भूमि स्थित में जिसमे आने-जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 20 फीट चौडाई के नये रास्ते हेतु चाही जा रही है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है, आवेदकों की एवं अन्य खातेदार की भूमि का मौका निरीक्षण सबधिंत भू-अभिलो निरीक्षक से करवा लिया जावें, आवेदक रास्ते की भूमि का नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है। आवेदक उक्त खसरा नंबर 761 के दक्षिण पश्चिम कोने से 20 फीट का रास्ता चाहता है। अप्रार्थीगण की उक्त जमीन के उत्तर दिशा में आवेदक की भूमि स्थित है उक्त रास्ते से आवेदक की भूमि में जाने के लिये अप्रार्थीगण की जमीन खसरा नंबर 761 के पश्चिमी कोने से 20 फीट के रास्ते के लिये आवेदन किया गया है जो आगे आवेदक की भूमि खसरा नंबर 763 से जुड जाता है। प्रार्थी को खसरा नंबर 761 मे से रास्ता मिलने पर उसकी खातेदारी के दक्षिण छोर में खसरा नंबर 763 मिल जायेगा। जिससे प्रार्थी आसानी से अपनी खातेदारी काश्तकारी पर आ जा सकेगा। आवेदक के स्वामित्व की भूमि संलग्न नक्शे में पीले रंग से अन्य खातेदार की भूमि को लाल रंग से तथा रास्ते हेतु ली जाने वाली भूमि को आडी तिरछी धारियों से दर्शाया गया है। आवेदक की भूमि में आने जाने का रास्ता और कही से भी नही है। आवेदक शुरू से ही नक्शे में वर्णित आडी तिरछी धारियों की भूमि मे से ही आता जाता है। प्रार्थी को खसरा नंबर 761 मे से रास्ता दिये जाने पर प्रार्थी के लिये सुगम व निकटम रहेगा, जिसका मुआवजा प्रार्थी देने को तैयार है प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नही है। निवेदन है कि मौका स्थिति की जॉच रिपोर्ट मंगवाकर चाहा गया रास्ता उपलब्ध कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसे रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करे न्यायहित में न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बद्री बनाम रामावतार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
644/2023		

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार चाकसू को रिपोर्ट तलब की गयी | तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारान की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/06/2023 पारित करते हुये रास्ता कायमी का सशर्त आदेश प्रदान कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी के पास रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही होना स्पष्ट होने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी प्रत्येक खातेदार/काश्तकार को उसकी खाते की आराजी में उन्नत कृषि के मध्यनजर कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त प्रतीत होता है, जिसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/06/2023 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर